न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 41/2024
जीसीएमएस नम्बर :: 2024/170

अपीलाण्ट :– बनाम रेस्पोडेण्ट्स :–

राजेश मरलेचा पुत्र रमेश कुमार मरलेचा, जाति जैन जरिये पार्टनर मैसर्स गणेश एग्रो मकान संख्या 91 कॉलोनी धर्नेन्द्र पद्मावती नगर, रामलीला मैदान के पास तहसील पाली जिला पाली (राज.)

1. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार पाली जिला पाली राज.
2. भंवरसिंह पुत्र श्री देवीसिंह जाति राजपुरोहित निवासी गांव खैरवा तहसील पाली जिला पाली (राज.)
3. संतोष मरलेचा पत्नी रमेश कुमार मरलेचा, जाति जैन जरिये पार्टनर मैसर्स गणेश एग्रो मकान संख्या 20 कॉलोनी धर्नेन्द्र पद्मावती नगर, रामलीला मैदान के पास तहसील पाली जिला पाली (राज.)
4. उषा मरलेचा पत्नी पंकज कुमार मरलेचा, जाति जैन जरिये पार्टनर मैसर्स गणेश एग्रो मकान संख्या 45 कॉलोनी धर्नेन्द्र पद्मावती नगर, रामलीला मैदान के पास तहसील पाली जिला पाली (राज.)
5. कविता मरलेचा पत्नी रितेश मरलेचा, जाति जैन जरिये पार्टनर मैसर्स गणेश एग्रो मकान संख्या 20 कॉलोनी धर्नेन्द्र पद्मावती नगर, रामलीला मैदान के पास तहसील पाली जिला पाली (राज.)

जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

<u>राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :– अपीलाण्ट स्वयं
सरकारी पैरोकार

–:: <u>नि र्ण य</u> ::–

दिनांक :– 16.10.2024

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत सरहद मौजा राजस्व ग्रामं खैरवा, पटवार हल्का खैरवा I, भू–अभिलेख निरीक्षक खैरवा, तहसील व जिला पाली के स्वतः स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3858 दिनांक 05.10.2024 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की

जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट स्वयं वक्त बहस उपस्थित हुये। रेस्पो. संख्या 02 लगायत रेस्पो. संख्या 05 ने स्वयं उपस्थित होकर अपनी अनापत्ति प्रस्तुत की। सरकारी पैरोकार उपस्थित। अपीलाण्ट की बहस सुनी गई।

अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया किं अपीलाण्ट ने सरहद मौजा राजस्व ग्राम खैरवा, पटवार हल्का खैरवा I, भू–अभिलेख निरीक्षक खैरवा, तहसील व जिला पाली के हाल खाता संख्या 1032 खसरा नम्बर 43 रकबा 1.4245 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल की खातेदारी कृषि भूमि के खातेदार विक्रेता भंवरसिंह पुत्र श्री देवीसिंह जाति राजपुरोहित से जरिये पंजीबद्ध विक्रय–विलेख दिनांक 05.10.2024 को खरीद लिया था। पक्षकारों के बीच निष्पादित पंजीबद्ध विक्रय–विलेख के जरिये स्वतः नामान्तरकरण प्रक्रिया के तहत जैर नामान्तरकरण संख्या 3858 दिनांक 05.10.2024 स्वीकृत हुआ जिसमें तकनीकी खामियों की वजह से क्रेता की सही वलदीयत राजेश मरलेचा पुत्र रमेश कुमार मरलेचा की जगह राजेश मरलेचा पत्नी रमेश कुमार मरलेचा अंकित हो गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण खारिज फरमावे।

रेस्पो. संख्या 02 से रेस्पो. संख्या 05 ने न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर अपनी अनापत्ति प्रस्तुत की व कथन किया कि जैर नामान्तरकरण में अपीलाण्ट वल्दीयत से संबंधित कुछ अनुतोष चाहते है तो उन्हें किसी प्रकार का एतराज नहीं है।

अपीलाण्ट की बहस सुनी गई। श्रवणसुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया तो यह पाया कि हस्ब पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 05.10.2024 में क्रेता का नाम राजेश मरलेचा पुत्र रमेश कुमार मरलेचा है जबकि जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण में राजेश मरलेचा पत्नी रमेश कुमार मरलेचा दर्ज हो गया है। पंजीकृत विक्रय पत्र के विरूद्ध स्वीकृत जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण में पुत्र के स्थान पर पत्नी अंकन होना ही प्रथम–दृष्ट्या त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील–अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 3858 दिनांक 05.10.2024 जो स्वतः स्वीकृत नामान्तरकण से दर्ज हुआ है उसे अपास्त किया जाकर तहसीलदार, पाली को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में हस्ब पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 05.10.2024 के अनुसार नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना सुनिश्चित करे।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक **16.10.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली